②

प्रारूप–2

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रां०शिक्षा भरतपुर

क्रमांक – जिशिअ/प्राशि/भरत/मान्यता/2012/572 दिनांक 23/11/12

प्रबंधक, टैगोर इंग्लिश एकेडमी उच्च प्राथ०, नदबई

विषय – निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण पत्र

महोदय /महोदया,

आपके दिनांक .... के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिदेश से मैं टैगोर इंग्लिश एकेडमी उच्च प्राथ०, कुम्हेर रोड, नदबई (विद्यालय का नाम पते सहित) को दिनांक .... से 31/3/13 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं । उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन है:–

1 मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा–8 के पश्चात मान्यता/सम्बन्धन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है ।

2 विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–09 (उपाबंध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबन्ध–2) के उपबन्धों का पालन करेगा ।

3 विद्यालय कक्षा–1 में, उस कक्षा के बालकों की संख्या के प्रतिशत तक आस–पड़ौस के कमजोर वर्गों और अलाभप्रद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा ओर उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा ।

4 पैरा–3 निर्दिष्ट बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा–12 (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा । ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा ।

5 सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग पकिया के अध्यधीन नहीं करेगा ।

6 विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा । यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान,धर्म,जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपबन्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है ।

7 विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि–

1. प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा ।

2. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा ।

3. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

4. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

5. अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाना ।

सचिव
आदर्श टैगोर शिक्षा समिति
नदबई (भरतपुर) राज.

PRINCIPAL
TAGORE ENGLISH ACADEMY
SENIOR SECONDARY SCHO[OL]
NADBAI (BHARATPUR) RA[J.]

6. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है , परन्तु और यह कि विधमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नही है पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगे।

7. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है , और

8. अध्यापक स्वयं किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों मे नियोजित नही करेगे।

8 विधालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

9 विधालय अधिनियम की धारा–19 मे अधिकथित , विधालय मे उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात मे विधार्थियो का नामांकन करेगा।

10 विधालय अधिनियम की धारा–19 मे यथानिर्दिष्ट विधालय के मानकों और संनियमो को बनाए रखेगा । अन्तिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाऐं निम्नानुसार है –

विधालय परिसर का क्षेत्र– 7820 वर्गमीटर

कुल निर्मित क्षेत्र– 2424 वर्गमीटर

क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल– 6000 वर्गफुट

कक्षा कमरों की संख्या 8

प्रधानाध्यापक – सह कार्यालय –सह भण्डार कक्ष– 1

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय– हाँ

पेयजल सुविधा– हाँ

मिड डे मील पकाने के लिए रसोई– नहीं

बाधा रहित पहुँच– हाँ

अध्यापक पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूदउपस्करो/पुस्तकालय की उपलब्धता – हाँ

11 विधालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विधालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाऐं नही चलाई जाएंगी ।

12 विधालय भवनो या अन्य संरचनाओ या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

13 विधालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

14 विधालय को व्यष्टि , व्यष्टियों के समूह या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।

15 विधालय के लेखाओं की चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमो के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शिक्षा) ....भरतपुर........ को भेजी जानी चाहिए।

16 आपके विधालय को आंवटित मान्यता कोड क्रमांक 954 है। कृपया इसके नोट कर लें और इस विधालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें ।

17 विधालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) ....भरतपुर द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशो का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विधालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाऐं ।

18 सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए ।

19 संलग्न उपाबन्ध–III के अनुसार अन्य कोई शर्तें ।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रा0शिक्षा भरतपुर

कमियाँ

(1) भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र (2012-13)

सचिव
आदर्श टैगोर शिक्षा समिति
नदबई (भरतपुर) राज.

PRINCIPAL
TAGORE ENGLISH ACADEMY
SENIOR SECONDARY SCHOOL
NADBAI (BHARATPUR) RAJ.